



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042021-226803  
CG-DL-E-30042021-226803

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943

No. 245]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

सं. 29/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 303(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2021- सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 284 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“4.	3822	इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स अर्थात् - आई एल 6, डी- डाइमर, सी आर पी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एल डी एच (लैक्टेट डी- हाइड्रोजनेस), फेररिटिन, प्रो कैल्सीटोनिन (पी सी टी) और रक्त गैस रिएजेंट्स।”।

[फा.सं. 354/52/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2021

**No. 29/2021-Customs**

**G.S.R. 303(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2021-Customs, dated the 20th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 284(E), dated the 20th April, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No.3 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“4.	3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP(C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.”.

[F. No. 354/52/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.